

उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यूसर्क)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

33, फेज-2, वसंत विहार, देहरादून-248006

अनुबन्ध आधार पर वाहन उपलब्ध कराये जाने के लिये निविदा प्रपत्र

(क) निविदा का आमंत्रण (Invitation to Bid)

उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यूसर्क) देहरादून हेतु दिनांक 01 जून 2018 से 31 मई 2019 तक के लिये विभिन्न व्यावसायिक वाहनों यथा इंडिका (ए0सी0), इण्डिगों (ए0सी0), सियाज (ए0सी0) तथा स्विफ्ट डिजायर एवं इनोवा (ए0सी0), बोलेरो -10 सीटर) आदि मासिक एवं दैनिक दरों में अनुबन्ध के आधार पर आवश्यकता है। इच्छुक वाहन स्वामी/फर्म, जिनका पंजीयन सर्विस टैक्स के अन्तर्गत हो, वे निविदा प्रपत्र यूसर्क की वेबसाईट- www.userc.org से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिये निविदा प्रपत्र के साथ रु0 500/- का बैंक ड्राफ्ट (जो निदेशक, उत्तराखण्ड के पक्ष में जारी हों) संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त निविदा, इस कार्यालय में दिनांक 09 अगस्त 2018 अपरान्ह 2.00 बजे तक हाथ से/पंजीकृत डाक से स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा तथा तकनीक निविदाएं उसी दिन 2.30 बजे अपरान्ह तथा वित्तीय निविदायें दिनांक 10 अगस्त 2018 को अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी।

ह0

निदेशक

(ख) निविदादाता को सामान्य निर्देश:-

1. वाहन का विवरण:

S.No.	Vehicle Type	Haring Basis	Specifications
1	Indica (AC)	Monthly/Daily Basis	Model 2016 & above
2	Indigo (AC)	Monthly/Daily Basis	Model 2016 & above
3	Innova (AC)	Monthly/Daily Basis	Model 2016 & above
4	Swift Dzire (AC)	Monthly/Daily Basis	Model 2016 & above
5	BOLLERO (AC-10 Seat Diesel)	Monthly/Daily Basis	Model 2016 & above
6.	Ciaz (AC)	Monthly/Daily Basis	Model 2016 & above

2. निविदा का मूल्य :

(क) प्रविष्ट में संशोधन, यदि हो तो काट कर पुनः लिखकर पूर्ण हस्ताक्षर करके किया जा सकेगा। उपलेखन मान्य नहीं होगा।

(ख) निविदा मूल्य में सभी प्रकार के शुल्क/टैक्स/लेवी जो सेवाओं पर देय होते हैं, सम्मिलित माने जायेंगे।

(ग) सेवा कर पृथक से देय होगा जिसे पृथक से दर्शाया जायेगा।

(घ) प्रस्तुत निविदा मूल्य पूरे अनुबन्ध की अवधि हेतु मानी जायेगी एवं इसमें किसी भी कारण से संशोधन नहीं किया जायेगा।

(ङ) निविदा मूल्य भारतीय रुपये में प्रस्तुत किया जायेगा।

3. प्रत्येक निविदादाता केवल एक निविदा प्रस्तुत करेगा। एक से अधिक निविदा प्रस्तुत किये जाने पर किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. निविदा की वैधता:

निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा दर खुलने की तिथि से 30 दिनों हेतु वैध मानी जायेगी।

5. निविदा का मूल्यांकन :

(क) विभाग उन सभी निविदाओं का मुल्यांकन करेगा जो इंगित शर्तों को पूरा करता हो तथा तकनीकी रूप से सफल घोषित किये गये हों-

(ख) यथास्थान हस्ताक्षरित हों।

(ग) निविदा की शर्तों एवं विशिष्टताओं को पूरा करते हों।

6. निविदा का मूल्यांकन प्रस्तर 1 में वर्णित प्रत्येक वाहनों का पृथक-पृथक किया जायेगा।

(क) यदि उक्त वाहनों की अलग-अलग फर्मों की दरें न्यूनतम हैं तो इंडिका (ए.सी) वाहन की न्यूनतम दरें देने वाले निविदाकर्ता को वरीयता दी जायेगी ताकि फर्म से अन्य वाहनों के लिये दरें हेतु निगोसिएट किया जायेगा। असहमति की दशा में अन्य वाहनों हेतु न्यूनतम दर प्रदान करने वाले निविदाकर्ताओं से पृथक-पृथक अनुबन्ध किया जायेगा।

7. संविदा स्वीकृति :

7.1 विभाग ऐसे निविदादाता को अनुबन्ध हेतु स्वीकृति प्रदान करेगा जिसकी निविदा शर्तों के अनुसार पर्याप्त रूप से उत्तरदायी हो एवं जिसके द्वारा न्यूनतम मूल्यांकित निविदा दरें दी गई हों।

7.2 उपरोक्त के बावजूद विभाग किसी भी समय निविदा की स्वीकृति से पूर्व बिना कारण बताए एक से अधिक निविदाओं को निरस्त करने के लिए अधिकृत है।

7.3 निविदाकर्ता, जिसकी निविदा स्वीकृति की गई है को विभाग द्वारा निविदा की वैधता की अवधि से पूर्व संविदा की स्वीकृति के विषय में सूचित किया जायेगा। स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तें संविदा आदेश में सम्मिलित की जायेगी।

7.4 सफल निविदादाता को रु0 100 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।

8. किराये का भुगतान मासिक आधार पर किया जायेगा।

9. अनुबन्ध की अन्य शर्तें संलग्न-1 में वर्णित हैं।

10. आप अपनी निविदा हाथ से अथवा पंजीकृत पोस्ट द्वारा दिनांक 09 अगस्त 2018 को अपरान्ह 2.00 बजे तक निदेशक कार्यालय में जमा कर सकते हैं। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। तकनीकी निविदाएं उसी दिन 2.30 बजे अपरान्ह को खोली जायेंगी।

निविदा की शर्तें :-

1. आवश्यकतानुसार वाहनों को मासिक/दैनिक आधार पर अतिरिक्त रूप में योजित किया जा सकता है परन्तु भुगतान वास्तविक रूप में योजित वाहनों का ही किया जायेगा।
2. निर्धारित भुगतान प्रति कि०मी० की दरों पर देय होगा। रात्रि विश्राम चार्ज (रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक)।
3. आमंत्रित निविदा के क्रमांक 01 से क्रमांक 06 पर अंकित वाहनों का पंजीकरण माह जनवरी, 2016 से पूर्व का होने पर उनको अनुबन्धित किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. यदि फर्म का कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो अनुबन्ध की समय सीमा पूर्व अनुबन्धित दरों पर बढ़ाये जाने के लिये विचार किया जा सकता है।
5. अनुबन्ध अवधि में चालक/वाहन उपलब्ध न होने की दशा में फर्म के बिल से रु० 1000/- (रूपये एक हजार मात्र) प्रतिदिन की दर से कटौती की जायेगी।
6. वाहन की मरम्मत, बीमा तथा चालक का वेतन आदि के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म/कम्पनी स्वामी की होगी तथा वाहन अन्दर एवं बाहर से पूर्ण स्वच्छ रखना होगा। वाहन में सीट कवर, तौलिया आदि रखना अनिवार्य होगा।
7. फर्म का PAN संख्या एवं सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन संख्या होना आवश्यक है, इसके प्रमाण के रूप में स्व प्रमाणित फोटो कॉपी की प्रति उपलब्ध करायें।
8. सभी प्रकार के टोल टैक्स, प्रवेश कर, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक वयय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा की जायेगी।
9. आपूर्तिकर्ता द्वारा कार्य के सम्बन्ध में विभिन्न अधिनियमों/नियमों यथा-श्रम अधिनियम, न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, पीएफ, ई.एस.आई., मोटरयान अधिनियम आदि में विहित कराने सम्बन्धी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
10. फर्म/निविदादाता द्वारा विगत दो वर्षों में राजकीय विभागों/निगमों, कार्यालयों आदि में वाहन उपलब्ध कराने सम्बन्धी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
11. फर्म के द्वारा विगत 02 वर्ष का प्रत्येक वर्ष में कुल रु० 5.00 लाख (रूपये पांच लाख मात्र) से अधिक प्रतिवर्ष का Travel से सम्बन्धित कार्य किया गया हो। प्रमाण के रूप में वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की आयकर रिटर्न की छायाप्रति लगायें, जिसकी विभाग द्वारा जाँच करायी जा सकती है।

12. अनुबंधित वाहन से दिन व रात्रि में कार्य लिया जा सकता है। अतिरिक्त चालक की आवश्यकता होने पर चालक उपलब्ध कराने का दायित्व फर्म/सेवादाता का होगा।
13. वाहन चालक के पास मोबाइल सुविधा होना अनिवार्य है जो 24 घंटा चालू हालत में रहेगा, जिससे वाहन चालक से संपर्क किया जा सके।
14. आपूर्ति किये जाने वाला वाहन मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत ऑल इंडिया परमिट से आच्छादित होनी चाहिए। किसी भी निजी वाहन (Non Transport Vehicle) की आपूर्ति नहीं की जाएगी।
15. वाहन पर तैनात किए जाने वाला चालक वैध व्यावसायिक लाइसेंस धारक होना चाहिए तथा चालक को ड्यूटी के दौरान नियमानुसार वर्दी में होना आवश्यक है। वाहन का चालक वाहन चलाने की दृष्टि से हष्ट-पुष्ट (Medically Fit) एवं पर्याप्त अनुभवी और वाहन चलाने में दक्ष होना चाहिए। चालक का आचरण मृदुभाषी, अनुशासित होना अपरिहार्य है।
16. अनुबंधित फर्म उपरोक्त शर्तों के साथ-साथ उन्हीं वाहनों को यूसरक को उपलब्ध करवाएगा जिनका रजिस्ट्रेशन टैक्सी कोटे में हो तथा जिनका रोड टैक्स, फिटनेस एवं बीमा आदि का भुगतान किया गया है। यदि इनके अभाव में आर.टी.ओ. द्वारा वाहन का चालान किया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व ट्रैवल एजेंसी/संचालक/फर्म का होगा।
17. फर्म के नाम अथवा फर्म के स्वामी के नाम कम से कम 03 वाहन पंजीकृत/अधिकृत पत्र होना अनिवार्य है जो वर्ष 2016 मॉडल से पुराने न हों। अनुबंध/पावर ऑफ एटर्नी द्वारा प्राप्त वाहनो से सम्बन्धित प्रपत्रों की छायापत्रि संलग्न करें।
18. यात्रा के मध्य वाहन के परिचालन में किसी भी प्रकार का व्यवधान होने पर चयनित व्यक्ति/संस्था/फर्म को 01 घंटे के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। ऐसा न करने की स्थिति में उस यात्रा का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा तथा फर्म/सेवादाता के बिल से उतनी धनराशि की कटौती कर ली जाएगी, जितनी राशि का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को यात्रा पूरी करने हेतु करना पड़ा हो।
19. वाहन चालक के पास वाहन से सम्बन्धित आवश्यक मूल दस्तावेज 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे।
20. फर्म को Financial Bid तथा Technical Bid अलग-अलग Sealed लिफाफों में देनी होगी। दोनों Sealed लिफाफे तीसरे अन्य Sealed लिफाफे में रखकर कार्यालय में प्रेषित किए जाएंगे। प्रत्येक लिफाफे पर निविदा का नाम एवं कार्यक्रम निदेशक को प्रेषण का विवरण दिया जाएगा।

21. सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होंगी।
22. उपरोक्त में ये यदि कोई शर्त पूर्ण नहीं होती है तो निविदादाता की वित्तीय दरों सम्बन्धी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
23. निविदा को निरस्त करने का अधिकार निदेशक, यूसरक को होगा।
24. किसी विवाद की स्थिति में न्यायालय देहरादून मान्य होगा।
25. वाहन किराये के बिलों पर आयकर के नियमों के अनुसार आयकर कटौती की जाएगी।
26. वाहन को किराये पर लिये जाने के उपरान्त किसी भी दशा में वाहन को बदला नहीं जाएगा।
27. निविदा प्रक्रिया में चयनित वाहन स्वामी/फर्म द्वारा अनुबन्ध की अवधि में उपरोक्त शर्तों एवं नियमों के विरुद्ध की गई कार्यवाही, जिससे कार्यक्रम के कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, की दशा में अनुबंध समाप्त करने का अधिकार निदेशक यूसरक को होगा।
28. वाहन चालक को सेवाएं प्रदान करते समय निदेशक, यूसरक कार्यालय में स्वच्छ पोशाक में सेवायें देनी होंगी। सेवा उपलब्ध कराते समय वाहन चालक किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों का उपभोग नहीं करेगा तथा अधिकारी को नियत समय पर वाहन सहित उपस्थिति देगा।
29. यदि वाहन चालक द्वारा मादक द्रव्यों का सेवन किया जाता है और इससे संबंधी शिकायत कार्यालय को दी जाती है तो उक्त वाहन की सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।

Sign of Bidder

उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू-सर्क)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, (उत्तराखण्ड शासन)

33, वसंत विहार, फेज-2, देहरादून, टेलीफोन नं.- 0135-2760302

(वर्ष 2018 के लिए वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा फार्म प्रपत्र)

निविदा फार्म का मूल्य

रु0 500/-

(Technical Bid)

1. फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि :
2. निविदा खोलने की तिथि:
3. निविदा जमा करने एवं खोलने का स्थान:
4. निविदादाता/फर्म का नाम :
5. पूर्ण पता :
6. निविदादाता का प्रतिवर्ष टर्न ओवर रु0 5.00 लाख (रुपये पांच लाख मात्र) का प्रमाण :
7. राज्य वाणिज्यकर पंजीयन संख्या (GST) :
8. वाहन की संख्या व उसके रजिस्ट्रेशन नं. (जिनका स्वामित्व निविदादाता/फर्म का हो) के पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा, परमिट, फिटनेस की फोटो प्रतियां संलग्न की जानी अनिवार्य है।
 - 1.-.....
 - 2.-.....
 - 3.-.....
 - 4.-.....
 - 5.-.....
 - 6.-.....
9. PAN. No----- (स्वयं प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी आवश्यक है)
10. निविदादाता का प्रतिष्ठित संस्थान में कार्य का अनुभव (प्रमाण पत्र सहित)
11. निविदा की धरोहर राशि रु0 20,000/- का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. का विवरण
12. निविदा प्रपत्र की धनराशि का विवरण:
13. वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की आयकर रिटर्न की छायाप्रतियां।

निविदादाता /के हस्ताक्षर	:
फर्म का नाम एवं पता	:
दूरभाष संख्या	:
मोबाइल नंबर	:

प्रारूप
(वित्तीय निविदा)

क्र० सं०	वाहन का प्रकार	मॉडल	प्रतिमाह की दर		प्रतिदिन दर		प्रतिदिन दर		देहरादून शहर में 8 कि.मी. परिधि के भीतर केवल ड्राप व पिक-अप करने हेतु	जौलीग्रंट हवाई अड्डे या देहरादून में समकक्ष दूरी के अन्य स्थानों पर ड्राप व पिक-अप करने हेतु	रात्रि विश्राम चार्ज
			किराया रु०	ईंधन खपत औसत/ली०	किराया रु०	ईंधन खपत औसत/ली०	80 कि.मी. दूरी व 8 घंटे की अवधि	80 कि.मी. दूरी व 8 घंटे पश्चात			
1	Indica (AC)	2016 & above									
2	Indigo (AC)	2016 & above									
3	Innova (AC)	2016 & above									
4	Swift Dzire (AC)	2016 & above									
5	BOLLERO (AC-10 Seat Diesel)	2016 & above									
6	Ciaz	2016 & above									

Signature and seal of Supplier

उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यूसर्क)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

33, फेज-2, वसंत विहार, देहरादून-248006

पत्रांक:- यूसर्क/वाहन/2018-19/

दिनांक: 26 जुलाई 2018

इस कार्यालय को मासिक/दैनिक किराये के आधार पर छोटे वाहनों की वाहन चालक सहित आवश्यकता है। फर्मों से मुहरबन्द निविदायें दिनांक 09 अगस्त 2018 के अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो कि उसी दिन अपरान्ह 2.30 बजे अद्योहस्ताक्षरी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा कार्यालय में खोली जायेगी। कोटेशन फार्म व अन्य विवरण यूसर्क की वैब साइट www.userc.org में दिया गया है।

निदेशक